भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2947**
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: चरम जलवायु के प्रभाव को कम करना**

**2947. डॉ. अमर सिंह:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सरकार के संज्ञान में है कि सूखा, बाढ़ और अन्य मौसम संबंधी आपदाएं फसलों को नष्ट कर सकती हैं, खाद्य उत्पादन को बाधित कर सकती हैं और देश भर के किसानों की आजीविका को खतरे में डाल सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जलवायु परिवर्तन से मौसम में अत्यधिक उतार-चढ़ाव जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र के सामने काफी चुनौतियां आ रही हैं, कृषि लचीलापन (रिज़िल्यन्स) बढ़ाने और इन जलवायु संबंधी चरम स्थितियों के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है,

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) और (ख): जी हाँ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, राज्यों के पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

इसके अलावा, मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के साथ-साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को फसल की विफलता के सापेक्ष एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।

पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस योजना को एरिया एप्रोच के आधार पर लागू किया जा रहा है और फसल नुकसान/दावों के कारणों की परवाह किए बिना संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सीजन अंत के उपज आंकड़ों के आधार पर विनिर्दिष्ट फार्मूला के अनुसार दावों की गणना की जाती है। दावों का भुगतान एनसीआईपी पर दावों की गणना से 21 दिनों के

भीतर किया जाना अपेक्षित है, भले ही बीमा कंपनियों ने प्रीमियम सब्सिडी की दूसरी या अंतिम किस्त की मांग उठाई हो और चाहे बीमा कंपनियों द्वारा सत्यापन और गुणवत्ता जांच पूरी कर ली गई हो। ऐसा न करने पर, एनसीआईपी के माध्यम से प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जुर्माने की स्वतः गणना की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार करती है। वर्षासिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर ध्यान केंद्रित करती है। आरएडी के तहत, फसल/फसल प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि जैसी गतिविधियों के साथ एकीकृत किया गया है ताकि किसान न केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि प्रतिलाभ को अधिकतम कर सकें बल्कि सूखे, बाढ़ या अन्य चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को भी कम कर सकें। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य भी कृषि में जलवायु अनुकूलता को बढ़ाना है।

सरकार ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) बनाई है, जो देश में क्लाइमेट एक्शन के लिए एक व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क प्रदान करती है। एनएपीसीसी देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और पारिस्थितिकीय स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति की रूपरेखा तैयार करती है। एनएपीसीसी के तहत राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है जो बदलती जलवायु के लिए कृषि को अधिक अनुकूल बनाने हेतु कार्यनीतियां विकसित और कार्यान्वित करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक फ्लैगशिप नेटवर्क परियोजना शुरू की है। यह परियोजना फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है और देश के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास करती है और बढ़ावा देती है। इस परियोजना के परिणामस्वरूप क्षेत्रों को सूखा, बाढ़, पाला, लू (हीट वेव्ज) आदि जैसी चरम मौसम स्थितियों से निपटने में मदद मिलती है। पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से 2177 किस्में एक या एक से अधिक बायोटिक और/या एबायोटिक स्ट्रेसिज के प्रति अनुकूलित पाई गई है। जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार 651 प्रमुख कृषि जिलों के लिए जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। संवेदनशील के रूप में पहचाने गए 310 जिलों में से 109 जिलों को 'बहुत अधिक' और 201 जिलों को 'अधिक' संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन 651 जिलों के लिए मौसम संबंधी विषमताओं को दूर करने और राज्य कृषि विभागों के उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों एवं किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश करने हेतु जिला कृषि

आकस्मिक योजनाएँ (डीएसीपी) भी तैयार की गई हैं। जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की क्षमता और अनुकूलता को बढ़ाने के लिए, एनआईसीआरए के तहत "जलवायु अनुकूल गाँव" (सीआरवी) की अवधारणा शुरू की गई है। किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 151 जलवायु संवेदनशील जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। आईसीएआर अपनी एनआईसीआरए परियोजना के माध्यम से किसानों के बीच कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करता है। जलवायु अनुकूल तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

*****